



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022025-261281
CG-DL-E-24022025-261281

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 950]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 24, 2025/फाल्गुन 5, 1946

No. 950]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 24, 2025/PHALGUNA 5, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2025

का.आ. 958(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (vii) ; धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ग) और खंड (घ); धारा 8; और धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 में अनुसूची I, में पैरा (2) में,—

(क) खंड (झक) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“परन्तु इस खंड के उपबंध विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 के नियम 26 के अधीन सम्मिलित की गई पैकेजिंग पर लागू नहीं होंगे।”

(ख) खंड (झक) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

“(झख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को लिखित में सूचना देने के अध्यक्षीन उत्पादक, खंड (झक) की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे, —

क. निम्नलिखित पर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व रजिस्ट्रीकरण संख्या वाले बारकोड या क्विक रिस्पॉंस कोड मुद्रित करना –

- (क) बैटरी या बैटरी पैक पर; या
- (ख) बैटरी या बैटरी पैक वाले उपकरण पर; या
- (ग) बैटरी या बैटरी पैक की पैकेजिंग पर; या
- (घ) बैटरी या बैटरी पैक वाले उपकरण की पैकेजिंग पर; या
- (ङ) बैटरियों या बैटरी पैकों, जो खुदरा बिक्री के लिए नहीं हैं, की थोक पैकेजिंग पर;

ख. उत्पाद सूचना विवरणिका पर विस्तारित उत्पादक रजिस्ट्रीकरण संख्या मुद्रित करना;

परन्तु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ऐसे उत्पादकों, जिन्होंने केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर बोर्ड को सूचना दी है तथा अपना ब्यौरा प्रत्येक तिमाही में अद्यतन करते हैं, की समेकित सूची प्रकाशित करेगा।”

(ग) खंड (v) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -

“परन्तु जहां बैटरी में भार के सदर्थ में कैडमियम की धातु सांद्रता 0.002% (प्रति मिलियन 20 भाग) से कम या इसके समान हो या बैटरी में लेड धातु 0.004% (प्रति मिलियन 40 भाग) से कम या इसके समान हो, तो ‘Cd’ या ‘Pb’ के रासायनिक प्रतीकों को अंकित करना लागू नहीं होगा।”

[फा. सं. 12/36/2019-एचएसएमडी]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. सं. 3984(अ), तारीख 24 अगस्त, 2022 के अधीन प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात्, अधिसूचना सं. का.आ. 4669(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2023, सा.का.नि. 190(अ), तारीख 14 मार्च, 2024, का.आ. 2374(अ), तारीख 20 जून, 2024 और का.आ. 5210(अ), तारीख 03 दिसंबर, 2024 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2025

S.O. 958(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (vii) of sub-section (2) of section 3; sub-section (1), clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 6; section 8; and clause (b) of sub-section (2) of section 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Battery Waste Management Rules, 2022, namely :—

1. (1) These rules may be called the Battery Waste Management Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Battery Waste Management Rules, 2022, in Schedule I, in paragraph (2), —

(a) In clause (ia), the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided that the provisions of this clause shall not apply to packaging covered under rule 26 of the Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011.”

(b) After clause (ia), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ib) producers may fulfill the requirements of clause (ia), subject to providing the information in writing to the Central Pollution Control Board, —

A. print a barcode or Quick Response code containing the Extended Producer Responsibility registration number on —

(a) battery or battery pack; or

(b) equipment having battery or battery pack; or

- (c) packaging of battery or battery pack; or
 - (d) packaging of the equipment having battery or battery pack; or
 - (e) bulk packaging of batteries or battery packs, not for retail sale;
- B. print the Extended Producer Registration number on the product information brochure;

Provided that the Central Pollution Control Board shall publish a consolidated list of such producers, who have provided the information to it on the centralised online portal and update their details every quarter.”.

(c) In clause (v), the following proviso shall be inserted, namely, —

“Provided that marking of chemical symbol ‘Cd’ or ‘Pb’ is not applicable where the metal concentration of Cadmium in the battery is less than or equal to 0.002% (20 parts per million) or Lead in the battery is less than or equal to 0.004% (40 parts per million) by weight.”.

[F. No. 12/36/2019-HSMD]
VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3984(E), dated the 24th August, 2022 and subsequently amended *vide* notification numbers S.O. 4669(E), dated the 25th October, 2023, G.S.R. 190(E), dated the 14th March, 2024, S.O. 2374 (E), dated 20th June, 2024 and S.O. 5210 (E), dated 3rd December, 2024.